13.12 A student who is found guilty of some major offence may not be recommended by the Senate to the Board of Governors for the award of a degree/diploma/certificate even if all the academic requirements have been satisfactorily completed by the concerned student.

14. SCHOLARSHIPS, PRIZES, AWARDS AND MEDALS

14.1 To promote and recognize academic excellence, constructive leadership and overall growth and development of students, the Senate shall award Prizes/Medals/Scholarships to be instituted either by the Institute or through endowment /grants of donors. The norms and conditions for the institution of such Scholarships/ Prizes/Medals shall require approval of the Board of Governors.

14.2 Under exceptional circumstances, where gross violation of the conditions of the Awards/recognition or academic misconduct is detected at a later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw the award and recognition.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU. Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3813(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक -निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

IndiaCode

1.शीर्षक

इन नियमों को "विकल्प आधारित साख प्रणाली" कहा जाएगा। संक्षेप में, इसे "वि.आ.सा.प्र. विनियम" कहा जाता है।

2. स्कोप

2.1 भा.सू.प्रौ.सं. तिरुचिरापल्ली के सभी संकायों द्वारा प्रस्तावित सभी अवर स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों के लिए ये विनियम लागू होंगे।

2.2 ये नियम काफी व्यापक हैं और इसमें महत्वपूर्ण शब्दों, महत्वपूर्ण अवधारणाओं, गणना के तरीकों, विभिन्न बोर्डों और समितियों की भूमिका और मूल्यांकन प्रणाली शामिल हैं।

3. परिभाषाएं: विकल्प आधारित साख प्रणाली (वि.आ.सा.प्र.): वि.आ.सा.प्र. सीखने की एक लचीली प्रणाली है जो छात्रों को निम्न की अनुमति देती है

1. अपनी गति से सीखना,
2. भा.सू.प्रौ.सं. तिरुचिरापल्ली के विभागों द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला से इलेक्टिव विषय चुनना।
3. सीखने में अंतर-विषयक दृष्टिकोण अपनाना और
4. उपलब्ध संकाय की विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग करना।

3.1 कार्यक्रम: कार्यक्रम का अर्थ वह डिग्री कार्यक्रम जो बी.टेक डिग्री कार्यक्रम है।

3.2 सेमेस्टर: सेमेस्टर का अर्थ है, 90 कार्यदिवसों में वितरित संपर्क घंटों की अवधि, 12 सप्ताह में फैली हुई प्रत्येक सप्ताह की पाँच दिनों की अवधि सेमेस्टर को विषम सेमेस्टर या सम सेमेस्टर के रूप में जाना जाएगा। जुलाई से दिसंबर तक का

सेमेस्टर कार्यक्रम अवधि के आधार पर सेमेस्टर I, III, V या VII होगा और इसी तरह जनवरी से जून तक का सेमेस्टर II, IV, VI और VIII होगा।

3.3 शैक्षणिक सप्ताह: शैक्षणिक सप्ताह 'पाँच दिवसों की एक इकाई है, जिसके दौरान कार्य के वितरण को प्रत्येक 50 मिनट की अवधि के संपर्क घंटों के रूप में प्रबंधित किया जाता है।

3.4 साख : साख एक तरह का महत्व है निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो संपर्क घंटों के लिए दिया जाता है, जो कि मॉड्यूलर रूप में होता है। एक साख सिद्धांत के लिए 12 संपर्क घंटों के लिए और एक साख व्यावहारिक के लिए 15 संपर्क घंटे के लिए आवंटित किया जाता है।

4. प्रवेश:

4.1 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, जिसे आगे संस्थान के रूप में जाना जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी (सीएसई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (ईसीई) में चार वर्षीय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) कार्यक्रम प्रदान करता है।

4.2 संस्थान के बीटेक कार्यक्रमों में प्रवेश वर्ष में एक बार जुलाई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन के माध्यम से दिया जाता है। उक्त परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की काउंसलिंग केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी)/संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएए)/समकक्ष शीर्ष निकाय द्वारा की जाती है। प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 प्रणाली की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण है या अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी और गणित के साथ इसके समकक्ष है और वैकल्पिक विषयों के रूप में जीव विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में से कोई भी एक है। प्रवेश के लिए प्रक्रियाएं और अन्य आवश्यकताएं हर साल और सीएसएबी की वेबसाइट (www.csab.it.in) पर दी गई जेईई सूचना विवरणिका में निर्दिष्ट होती हैं।

4.3 सभी बीटेक प्रवेश कार्यक्रमों को औपचारिक रूप से संस्थान की सीनेट की अवर स्नातक समिति (यूजीसीएस)— संस्थान की सीनेट की उपसमिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5. कार्यक्रम संरचना:

5.1 पाठ्यक्रम संहिता: प्रत्येक पाठ्यक्रम की एक अल्फ़ान्यूमेरिक संहिता होगी, जिसमें ABCD12 के रूप में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शामिल है जिसमें AB कार्यक्रम / पाठ्यक्रम है, सीडी पाठ्यक्रम के प्रकार को दर्शाता है, 1 सेमेस्टर को दर्शाता है, और 2 संबंधित सेमेस्टर में विषयों की संख्या को दर्शाता है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रमों की संख्या
1	गणित	4
2	भौतिकी *	2
3	रसायन विज्ञान *	2
4	मानविकी	-
5	संचार	2
6	ऊर्जा और पर्यावरण अभियांत्रिकी	1
7	व्यावसायिक नैतिकता	1

8	अभियांत्रिकी ग्राफिक्स	1
9	अभियांत्रिकी प्रैक्टिस	1
10	बेसिक अभियांत्रिकी	2
11	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का परिचय *	1
12	शाखा विशिष्ट पाठ्यक्रम (अध्ययन की शाखा का परिचय) **	1
13	ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप	
14	परियोजना कार्य	1
15	व्यापक मौखिक परीक्षा	1
16	औद्योगिक व्याख्यान	
17	एनएसएस / एनसीसी / एनएसओ	
संपूर्ण		

IndiaCode

5.2 व्यावसायिक कोर: एक पाठ्यक्रम जिसे कार्यक्रम की आवश्यकता के लिए छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

5.3 कार्यक्रम वैकल्पिक : आम तौर पर किसी कार्यक्रम को पाठ्यक्रम के पूल से चुना जा सकता है और जो कार्यक्रम के लिए बहुत विशिष्ट या विशेष या उन्नत या सहायक हो सकता है या उम्मीदवार की दक्षता/कौशल का पोषण करता है जिसे **कार्यक्रम वैकल्पिक** कहा जाता है। छात्र संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शर्तों के आधार पर पाठ्यक्रम चुन सकता है।

5.4 स्व अध्ययन पाठ्यक्रम: विशेष/उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जैसे कि किसी परियोजना कार्य के लिए पूरक अध्ययन/सहायता अध्ययन, और शिक्षक की सलाह के साथ उम्मीदवार द्वारा स्वयं ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन, जिसे स्व-अध्ययन कहा जाता है। छात्र अध्ययन की पूरी अवधि के लिए न्यूनतम 1 स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम पढ़ेगा।

5.5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम: बीओएस प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची अनुमोदित करेगा। पाठ्यक्रमों को सूचीबद्ध करते समय, बीओएस निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगा: पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक ही बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा समकक्ष ग्रेडिंग तंत्र निर्धारित किया जाएगा। छात्र अध्ययन के पूरे कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में अधिकतम 12 साख (कुल) तक पंजीकरण कर सकता है। इन्हें वैकल्पिक पाठ्यक्रम (**कार्यक्रम वैकल्पिक** या खुले वैकल्पिक) माना जाएगा। छात्रों को 5 वें सत्र से शुरू होने वाले प्रति सत्र एक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाती है।

6. **अवकाश इंटर्नशिप:** छात्र को तीसरे वर्ष के अंत में उद्योग में या आर एंड डी लैब में इंटर्नशिप कार्यक्रम करना होता है। छात्र को 2-4 सप्ताह की कुल अवधि के लिए गर्मी की छुट्टी के दौरान इंटर्नशिप करनी होती है। प्रशिक्षण का मूल्यांकन विभाग प्रमुख और संकाय सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। छात्र द्वारा एक संगोष्ठी प्रस्तुति की जानी चाहिए, और संगोष्ठी के दौरान प्राप्त अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद छात्र को उद्योग में जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. कक्षा समिति के कार्य: कक्षा समिति की सेमेस्टर के दौरान तीन बैठक होगी। पहली बैठक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्न परीक्षणों और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के लिए सतत मूल्यांकन परीक्षणों की प्रकृति और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। शिक्षण-अधिगम की प्रभाविता में सुधार करने

और चक्र परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अर्थपूर्ण तरीके से परस्पर बातचीत करने और विचार व्यक्त करने तथा सुझाव देने के लिए दूसरी और तीसरी बैठक क्रमशः पहले और दूसरे चक्र परीक्षणों के दो सप्ताह बाद आयोजित की जाएगी। कक्षा समिति के अध्यक्ष को विभाग प्रमुख के माध्यम से कक्षा समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कक्षा समिति की बैठकों के तुरंत बाद भेजना चाहिए।

8. परीक्षाएं: अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रदर्शन का (i) सेमेस्टर में सतत आंतरिक मूल्यांकन और (ii) अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं पर मूल्यांकन किया जाएगा।

8.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम, सिद्धांत, प्रयोग और एकीकृत सिद्धांत प्रयोगशाला घटक के साथ (परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा सहित) का अधिकतम 100 अंकों के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

क) सिद्धांत पाठ्यक्रम: सभी सिद्धांत पाठ्यक्रमों के लिए, सतत आंतरिक मूल्यांकन में 50 अंक होंगे और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में 50 अंक होंगे।

ख) प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम: प्रत्येक व्यावहारिक पाठ्यक्रम में, सतत आंतरिक मूल्यांकन के 75 अंक और अंत सेमेस्टर प्रयोगशाला घटक के साथ एकीकृत सिद्धांत पाठ्यक्रम परीक्षा के 25 अंक होंगे।

यदि प्रयोगशाला घटक के साथ एक एकीकृत सिद्धांत है, तो सतत आंतरिक मूल्यांकन के 50 अंक और अंत सेमेस्टर परीक्षा के 50 अंक होंगे ।

9.1 सहायता प्रक्रिया - नियम और परीक्षाएँ: प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम में और प्रयोगशाला घटक पाठ्यक्रम के साथ प्रत्येक एकीकृत सिद्धांत के मूल भाग में, मूल्यांकन प्रतिरूप निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	**मूल्यांकन**	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
1	सतत मूल्यांकन I	1 घंटा	20
2	सतत मूल्यांकन II	1 घंटा	20
3	असाईनमेंट/सेमीनार/ प्रश्नोत्तरी	-	10
4	अंतिम सेमेस्टर परीक्षा	3 घंटे	50

आंतरिक मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन के अंक लिए जाएंगे।

9.2 प्रत्येक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में और प्रयोगशाला घटक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत सिद्धांत में, मूल्यांकन प्रतिरूप निम्नानुसार होगा:

मूल्यांकन	अंक
सतत मूल्यांकन	75
अंतिम सेमेस्टर परीक्षा	25

9.3 प्रश्न पत्र तैयार करना और मूल्यांकन: सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना और उत्तर लिपियों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संकाय द्वारा किया जाएगा। हालांकि, निदेशक के पास प्रश्न पत्र सेट करने और उत्तर स्क्रिप्ट के मूल्यांकन के लिए किसी अन्य संकाय सदस्य या बाहरी परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

9.4 प्रश्न प्रतिरूप: अंतिम सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र बिना किसी विकल्प के 50 अंकों के लिए निर्धारित किया जा सकता है और प्रत्येक प्रश्न में संभावित उप विभाजनों के साथ पांच पूर्ण प्रश्न होने चाहिए। पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए प्रश्नों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पाँच इकाइयाँ हैं, तो प्रत्येक इकाई के लिए 10 अंक होना चाहिए।

IndiaCode

9.5 परीक्षा की अवधि तीन घंटे है।

9.6 मुख्य परियोजना/लघु परियोजना: छात्र उद्योग या अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या इन हाउस में अपनी मुख्य परियोजना पूरी कर सकते हैं। लघु परियोजना एक प्रयोगशाला उन्मुखी पाठ्यक्रम है जो छात्रों को लघु प्रणालियों/एप्लिकेशन तैयार करने उनके व्यावहारिक ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

9.7 बी.टेक के लिए परियोजना मूल्यांकन कार्यक्रम एक परियोजना समिति (पीसी), विभाग प्रमुख / नामित, परियोजना समन्वयक और परियोजना मार्ग्दर्शक द्वारा किया जाएगा।

9.8 परियोजना कार्य का मूल्यांकन इस प्रकार है:

प्रारंभिक समीक्षा:	
विषय की पहचान:	5 अंक
विवरण	5 अंक

समीक्षा I:	
कार्य प्रगति:	10 अंक
प्रस्तुति:	5 अंक
प्रश्नों के उत्तर:	5 अंक

समीक्षा II:	
उद्देश्यों की पूर्ति:	10 अंक
प्रस्तुति:	5 अंक
प्रश्नों के उत्तर:	5 अंक

9.9 यदि अभ्यर्थी निरंतर मूल्यांकन के 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे उस विषय के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी और उसे बाद के सेमेस्टर में इस के लिए फिर से नामांकन करना होगा।

9.10 भा.प्रौ.सं./ भा.वि.सं./ रा.प्रौ.सं./ भा.सू.प्रौ.सं./ वै.औ.अ.प. प्रयोगशाला / सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं/सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों / सार्वजनिक उपक्रमों से एक बाहरी परीक्षक के साथ पीसी द्वारा अंतिम परियोजना मौखिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा।

9.11 पुनः परीक्षा: जिन छात्रों ने पहले या दूसरे निरंतर मूल्यांकन परीक्षणों को किसी वैध कारण और/या पूर्व अनुमति के साथ पूरा नहीं किया है, वे पुनःपरीक्षा के लिए संबंधित संकाय और विभाग प्रमुख की सहमति से पंजीकरण कर सकते हैं जो दूसरी चक्र परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद आयोजित किया जाएगा। पहले और दूसरे सतत मूल्यांकन परीक्षा के पाठ्यक्रम को मिलाकर 20 अंकों के लिए पुनः परीक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

9.12 संस्थान की पूर्व-अनुमोदित अतिरिक्त पाठयेतर गतिविधियों जैसे कि खेल-कूद और सांस्कृतिक बैठकें, संगोष्ठी, कार्यशाला, परिसर में भर्ती, इंटर्नशिप और सम्मेलन में भाग लेना। ऐसी घटनाओं की अधिकतम अवधि 10 दिनों तक सीमित है।

9.13 जिन छात्रों की उपस्थिति 65% से कम है, उन्हें अगले बैच के साथ एक साल के बाद कार्यक्रम को फिर से करना और पुन: करना और उन पाठ्यक्रमों को पूरा करना होता है जिनके लिए उसकी उपस्थिति 65% से कम थी।

IndiaCode

9.14 उपस्थिति से माफी: उपस्थिति के प्रतिशत की गणना संबंधित सेमेस्टर में अंतिम कार्य दिवस पर की जाती है, और इसका प्रतिशत नोटिस बोर्ड में प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिशत को निम्नानुसार एक संहिता संख्या/पत्र द्वारा दर्शाया जाएगा:

उपस्थिति निम्न में रांउडिड	टिप्पणी	संहिता
91%-100%	बहुत अच्छा	VG
85%-90%	अच्छा	G
84%-75%	सीमांत	M
< 74%	खराब	P

9.15 प्रदर्शन विश्लेषण समिति: प्रदर्शन विश्लेषण समिति (पीएसी) में कक्षा समिति के समान सदस्य होंगे, लेकिन इसमें विभाग प्रमुख शामिल होगा और छात्र सदस्य शामिल नहीं होंगे। पीएसी की बैठक अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के अंतिम दिन से सात कार्य दिवसों के भीतर आयोजित की जानी अपेक्षित होती है, ताकि अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सके और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड की सीमाओं को अंतिम रूप दिया जा सके तथा विभाग प्रमुख के माध्यम से डीन (अकादमिक)/समकक्ष कैडर को तुरंत ग्रेड के विवरण को अग्रेषित किया जा सके। सामूहिक समझदारी से पीएसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्लस्टरिंग/ग्रेडिंग/पास-फेल फैसले उचित रूप से संतुलित हैं।

रजिस्टर में दर्ज अंकों, अंतिम सेमेस्टर के अंकों, ग्रेड और ग्रेड-श्रेणी के साथ सभी पाठ्यक्रमों की उपस्थिति रजिस्टर भी विभाग के प्रमुख के माध्यम से तुरंत डीन (अकादमिक) / समकक्ष कैडर को भेजे जाने चाहिए।

डीन (अकादमिक) / समकक्ष कैडर ग्रेड (और उपस्थिति रजिस्टर) के विवरण की जांच करेगा। डीन (अकादमिक)/समकक्ष कैडर द्वारा सही-सही नहीं की जा सकने वाली किसी भी समस्या के मामले में, अध्यक्ष (सीनेट) इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। तत्पश्चात अंतिम सूची अध्यक्ष, पीएसी को दी जाएगी।

10. अध्ययन के प्राधिकृत विराम : यदि छात्र अध्ययन के विराम के बाद भी विभाग को वापस रिपोर्ट नहीं करता है, तो उम्मीदवार का नामांकन स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

11. उपाधि प्रमाण – पत्र का वर्गीकरण: कार्यक्रम के सफल समापन के बाद, सीजीपीए के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरणों के अनुसार डिग्री प्रदान की जाएगी।

11.1 जो छात्र पहली उपस्थिति में सभी विषयों को पास करने और 8.5 और उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करने के साथ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी डिस्टींकशन के साथ बी.टेक उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

11.2 जिन छात्रों को 6.5 और उससे अधिक लेकिन 8 से नीचे का सीजीपीए मिलता है, और जो 9 सेमेस्टर या अधिकृत विराम के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

11.3 जिन छात्रों को 6.5 से नीचे का सीजीपीए प्राप्त होता है और जो संस्थान में शामिल होने के बाद अधिकतम निर्धारित अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

12. **डिग्री के लिए पात्रता:** कोई छात्र केवल बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीकी डिग्री प्रदान किए जाने के लिए केवल तब पात्र होगा, यदि छात्र ने अध्ययन के संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट कुल क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 7 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर अर्जित करके अध्ययन के निर्धारित कार्यक्रम को समाप्त कर लिया हो।

[फा. सं. 52-2/2017-त.शि.I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (त.शि.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3813(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Tiruchirappalli.

1. TITLE

These regulations shall be called "Choice Based Credit System". In short, it is referred to as "CBCS REGULATIONS".

2. SCOPE

2.1 The regulations provided herein shall apply to all the Undergraduate (UG) Programmes offered by all the Faculties of IIIT Tiruchirappalli.

2.2 These regulations are quite comprehensive and include definitions of key terms, critical concepts, mechanics of calculations, role of various boards and committees; and the evaluation system.

3. DEFINITIONS: Choice-Based Credit System (CBCS): CBCS is a flexible system of learning that permits students to

1. learn at their ownpace,
2. choose electives from a wide range of elective courses offered by the departments of IIIT Tiruchirappalli.
3. adopt an inter-disciplinary approach in learning and
4. make best use of the expertise of available faculty.

3.1 Programme: Programme means Degree Programme, that is B.Tech Degree Programme.

3.2 Semester: 'Semester' means a term of contact hours distributed over 90 working days spread over 12 weeks of five days' duration each. The Semesters will be known as either Odd Semester or Even semester. The Semester from July to December will be Semesters I, III, V or VII depending upon the programme duration and similarly the semester from January to June will be Semesters II, IV, VI and VIII.

3.3 Academic Week: 'Academic Week' is a unit of five working days during in which distribution of work is organized as contact hours each of 50 minutes' duration.

3.4 Credit: Credit is a kind of weightage given to the contact hours to teach the prescribed syllabus, which is in a modular form. One credit is allocated to 12 contact hours for theory and one credit is allocated to 15 contact hours for practical.

4. ADMISSIONS :

4.1 Indian Institute of Information Technology, Tiruchirappalli, hereafter referred to as the Institute, offers a four-year Bachelor of Technology (B.Tech.) programme in Computer Science & Engineering (CSE) and Electronics & Communication Engineering (ECE).

4.2 Admissions to the B.Tech programmes of the Institute are made once a year in July through the Joint Entrance Examination (JEE) Main conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE). The Counseling of the qualified candidates of the said examination is managed by Central Seat Allocation Board (CSAB)/Joint Seat Allocation Authority (JoSAA)/equivalent apex body. The minimum academic qualification for admission is a pass in the final examination of 10+2 system or its equivalent with Physics and Mathematics as compulsory subjects and any one from Biology, Bio-technology, Chemistry and Computer Science as optional subjects. The procedures and other requirements for admission are specified in the JEE Information Brochure brought out every year and CSAB website (www.csab.nic.in).

4.3 All BTech Admission Programs will be formally approved by the Institute's Undergraduate Committee of Senate (UGCS) - the Senate Subcommittee of the Institute.

5. PROGRAMME STRUCTURE :

5.1 Course Code: Each course shall have an alphanumeric code, which include Program/Course in the form of ABCD12 in which AB is Programme/Course, CD denotes type of Course, 1 denote Semester, and 2 denotes count of the subjects in the respective semester.

Sr. No.	Name of the Course	No. of Courses
1	Mathematics	4
2	Physics*	2
3	Chemistry*	2
4	Humanities	-
5	Communication	2
6	Energy and Enviro. Eng.	1
7	Professional Ethics	1
8	Engineering Graphics	1
9	Engineering Practice	1
10	Basic Engineering	2
11	Introduction to Computer Programming*	1
12	Branch Specific Course (Introduction to the Branch of study) **	1
13	Summer Internship	
14	Project work	1
15	Comprehensive viva	1
16	Industrial Lectures	-
17	NSS/NCC/NSO	-
Total :		

IndiaCode

5.2 Professional Corps: A course that must be studied by a student essentially for a program requirement.

5.3 Programme Elective: Generally a course can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to the programme or nurtures the candidate's proficiency/skill is called Programme Elective. The student can choose a course based on the prerequisites for the corresponding course.

5.4 Self Study Courses: An elective course designed to acquire a special / advanced knowledge, such as supplement study/support study to a project work, and a candidate studies such a course on his own with an advisory support by a teacher is called self-study. A student shall undergo minimum 1 self-study courses for the entire duration of study.

5.5 Online Courses: The BoS shall approve the list of online courses offered by reputed external agencies. While listing the courses, the BoS shall consider the following points: ¬ The course evaluation is carried out by the same external agency ¬ Equivalent grading mechanism to be arrived at by the department A student can register up to a maximum of 12 credits (total) as online courses during the entire programme of study. These shall be treated as Elective courses (program elective or open elective). Students are allowed to register for one course per session starting from 5th session onwards.

6. **VACATION INTERNSHIP:** Student is required to undergo the internship program either in industry or in R & D Lab at the end of third year. The student must undergo the internship during the summer vacation for a total period of 2-4 weeks.

The evaluation of training should be made by Head of the department and faculty members. One seminar presentation should be made by the student, and the marks obtained during the seminar are taken for the internal assessment. After completion of training the student should submit a report duly signed by the responsible person in the industry.

7. Functions of the Class Committee: The class committee shall meet thrice during the semester. The first meeting will be held within two weeks from the date of commencement of the semester in which the nature of the continuous assessment tests as well as broad assessment procedure for the different tests and practical courses will be discussed. The second and third meetings will be held two weeks after the first and second cycle tests respectively to meaningfully interact and express opinions and suggestions to improve the effectiveness of teaching - learning process and analyze the performance of the students in the cycle tests. The chairman of the class committee should

send the minutes of the class committee meetings to the Dean (Academic) through the Head of the Department, immediately after the class committee meetings.

8. EXAMINATIONS : Performance in each course of study shall be evaluated on (i) Continuous Internal Assessment throughout the semester and (ii) End Semester Examinations.

8.1 Each course, theory, practical and integrated theory with lab component (including project work & viva voce examinations) shall be evaluated for a maximum of 100 marks

a) Theory Courses :For all theory courses, the Continuous Internal Assessment will carry 50 marks and the End Semester Examination will carry 50 marks.

b) Practical courses : In each practical course, the Continuous Internal Assessment will carry Semester Examination

a) Integrated Theory Courses with Laboratory Component

75 marks and the End will carry 25 marks.

If there is an integrated theory with lab component, the Continuous Internal Assessment will carry 50 marks and the End Semester Examination will carry 50 marks.

9.1 Assistance Process - Rules and Examinations: In each theory course and with the laboratory component courses in the principle part of each integrated theory, the assessment pattern will be as follows:

Marks of the continuous assessments will be taken for internal assessment.

Sr. No.	Assessment	Duration	Max marks
1	Continuous Assessment I	1 Hour	20
2	Continuous Assessment II	1 Hour	20
3	Assignments/Seminar/Quiz	-	10
4	End semester Examination	3 Hour	50

IndiaCode

9.2 In each practical course and in the integrated theory with lab component course, the assessment pattern will be as

Evaluation	Marks
Continuous Assessment	75
End semester Examination	25

9.3 Question Paper Setting and Valuation: The setting of question papers and valuation of answer scripts for all the examinations shall be carried out by the faculty who has handled the course. However, the Director will have the discretion to appoint any other faculty member or external examiner for setting question papers and valuing the answer scripts.

follows:

9.4 Question Pattern: The question paper for the end semester examination may be set for 50 marks without any choices and should have FIVE full questions with possible sub divisions in each question. The questions should be uniformly distributed covering the entire

syllabus. For example, if there are five units, the marks for each unit should be 10.

9.5 The duration of the examination is three hours.

9.6 Major Project/Mini Project: Students can do their major project in Industry or R&D Lab or in house. Mini Project is a laboratory oriented course which will provide a platform to students to enhance their practical knowledge and skills by development of small systems/application.

9.7 The project evaluation for the B.Tech. programme shall be carried out by a Project committee (PC) comprising, Head of the Department/nominee, project coordinator and the project guide/s.

9.8 The assessment of the project work is as follows :

Preliminary review:	
Identification of topic :	5 marks
Description :	5 marks

Review I :	
Work progress :	10 marks
Presentation :	5 marks
Answer to queries :	5 marks

Review II :	
Completion of objectives :	10 marks
Presentation :	5 marks
Answer to queries :	5 marks.

Indiacode

9.9 If the candidate fails to obtain 50% of the continuous assessment marks, he/she will not be permitted to submit the report for that particular subject and has to re-enroll for the same in the subsequent semester.

9.10 The final project viva voce shall be conducted by the PC along with an external examiner fromIITs/IISc/NITs/IIITs/CSIR Labs/Government Research Laboratories/Government and Government aided Institutions/Public sector undertaking.

9.11Re-Test: Students who have missed the first or secondcontinuous assessment tests with a valid reason and/or with prior permission can register with the consent of faculty and HOD concerned for the Re-Test examination which shall be conducted soon after the completion of the second cycle test. The Re- Test examination shall be conducted for **20** marks comprising the syllabus of first and second Continuous assessments tests.

9.12 Participating in the Institute approved extra-curricular activities such as Sports, Games, and Cultural meets, Seminar, Workshop, campus recruitment, internship and Conference with prior permission . The maximum period for such events is limited to 10 days.

9.13Students who have less than 65% of attendance have to rejoin and Re-do the programme after a year along with the next batch and undergo the courses for which the attendance was less than 65% earlier.

9.14 Condonation of Attendance :The percentage of attendance is calculated at the last working day in the respective semester, and the percentage will be published in the notice board. Also The percentage will be indicated by a code number / letter as follows:

Attendance rounded to	Remarks	code
91%-100%	Very Good	VG
85%-90%	Good	G
84%-75%	Mariginal	M
< 74%	Poor	P

9.15 Performance Analysis Committee: The Performance Analysis Committee (PAC) will consist of the same members as the class committee but including the Head of the Department and excluding the student members. The meeting of the PAC is to be held within seven working days from the last day of the end semester examinations to analyze the performance of the students in all courses of study and finalize the grade ranges for each course and forward the statement of grades to the Dean (Academic)/equivalent cadre immediately, through the Head of the Department. The

PAC, by collective wisdom, should ensure that the clustering / grading / pass-fail decisions have been reasonably balanced.

The attendance registers of all the courses along marks, end-semester marks, grades and grade-ranges entered in the register are also to be sent to the Dean (Academic) /equivalent cadre immediately through the Head of the Department.

The Dean (Academic)/equivalent cadre shall go through the statement of grades (and the attendance register). In case of any problem that cannot be set right by the Dean (Academic) /equivalent cadre, the Chairman (Senate) is authorized to take appropriate action in this regard. The finalized list shall then be conveyed to the Chairperson, PAC.

10. AUTHORIZED BREAK OF STUDY :If the student does not report back to the department, even after the extended break of study, the enrolment of the candidate can be cancelled permanently.

11. CLASSIFICATION OF THE DEGREE AWARDED : After successful completion of the programme, degree will be awarded as per the following classifications based on the CGPA.

11.1Students who successfully complete the programme with passing all the subjects in the first appearance and getting CGPA of 8.5 and above will be declared to have passed B.Tech. with first class distinction.

11.2 Students who get a CGPA of 6.5 and above, but below 8 and who complete the course within 9 semesters or authorized break, will be declared to have passed in first class.

11.3 Students who get a CGPA of below 6.5 and who complete the course within the maximum prescribed period after joining the Institute will be declared to have passed in second class.

12. ELIGIBILITY FOR THE DEGREE :A student shall be eligible for the award of the degree of the Bachelor of Technology (B.Tech) only if the student has undergone the prescribed programme of study by earning the minimum total numberof credits specified in the curriculum of the relevant programme of study within a maximum duration of **7** years.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3814(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

वर्तमान अध्यादेश भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी. टेक. डिग्री कार्यक्रम के लिए लागू है, और इस अध्यादेश के निम्नानुसार दो भाग हैं:

अनुच्छेद क: क्रेडिट आधारित निरंतर मूल्यांकन और पुरस्कार (सीसीएलसीएए) से संबंधित अध्यादेश

अनुच्छेद ख: प्रवेश, कार्यक्रम संरचना और परीक्षा (एपीई) से संबंधित अध्यादेश

(नोट - दोनों अनुच्छेदों की शुरुआत में कुछ परिभाषाएं हैं, जिनका उपयोग, जब तक किसी विशेष रूप से नहीं कहा जाता है,तब तक दोनों अनुच्छेदों में समान रूप से किया जाता है।)

अनुच्छेदक क

क्रेडिट आधारित निरंतर मूल्यांकन और पुरस्कार (सीसीएलसीएए) से संबंधित अध्यादेश (भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम के लिए)

1	**परिप्रेक्ष्य**	भा.सू.प्रौ.स. (सा.नि.भा.) अधिनियम 2017 इस प्रकार है 19. (1) इस अधिनियम, संविधियों और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, सीनेट इस संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और उसे शैक्षणिक मामलों और गतिविधियों तथा छात्रों के कल्याण हेतु अध्यादेशों को लागू करने, परिशोधित करने या संशोधित करने का